| |
|---|
| दिनांक 31.08.2021 |
| प्रेस विज्ञप्ति 31/2021 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय का किया गया भ्रमण

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन, पी0एच0क्यू0, तकनीकी सेवाए, कन्ट्रोल रूम, लोक शिकायत प्रकोष्ठ व सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर आदि कार्यालयों/इकाईयों का भ्रमण किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा भ्रमण के दौरान आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गयेः–

- कर्तव्यरत पुलिस कर्मियों से उनका कुशलक्षेम पूंछते हुये व्यवहरित किये जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली गयी एवं उन्हे और अधिक मेहनत एवं लगन से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया।
- लोक शिकायत में विभिन्न माध्यमों एवं जनता द्वारा सीधे प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों को सम्बंधित जनपद में जांच हेतु भेजने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्रों को कम्प्यूटर में फीड करायें तथा समय–समय पर फीडबैक लेते हुये गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाय।
- सोशल मीडिया मानीटरिंग सेन्टर में ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि की सत्त मानीटरिंग एवं अफवाह व भ्रामक सूचना के खण्डन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली गई तथा इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।
- प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जारी ट्विटर एकाउन्ट @spaco_hq (Anti Corruption Organisation,UP) व मोबाइल नम्बर 9454402484 पर प्राप्त शिकायतों को चिन्हित कर उनका सम्यक निस्तारण कराया जाय।

- समस्त कार्यालयों/इकाईयों में फाईलों को और सुसज्जित तरीके से रखते हुये डिजिटल रख–रखाव को और अधिक बढ़ावा दिया जाय तथा साफ–सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

भ्रमण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

## जनपद आगरा/थाना सिकन्दरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 08 लाख 69 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 30.08.2021 को थाना सिकन्दरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीएसएफ पुल के पास चेकिंग के दौरान 06 शातिर अभियुक्तों 1–करन 2–सूरज 3–आरिफ 4–कप्तान 5–कुलदीप 6–शैलेन्द्र उर्फ शैलू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 08 लाख 69 हजार रूपये नगद, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद मथुरा, आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग, एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 24.08.2021 को थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—करन निवासी बरौली थाना बल्देव जनपद मथुरा।

2—सूरज निवासी मांगरौल गूजर बड़ी पार्टी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

3—आरिफ निवासी बरौली थाना बल्देव जनपद मथुरा।

4—कप्तान निवासी मांगरौल गूजर बड़ी पार्टी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

5—कुलदीप निवासी होली मोहल्ला बाल्मीकि बस्ती रूनकता थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

6—शैलेन्द्र उर्फ शैलू निवासी नगला देह थाना मांट जनपद मथुरा।

**बरामदगी**

1—लूट के 08 लाख 69 हजार रूपये नगद।

2—चोरी की 02 मोटर साइकिल।

3—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन।

**जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़**

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 कन्टेनर**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत के लूट के भारी मात्रा में सामान**
- **02 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 30.08.2021 को थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रैपुरा रोड के पास चेकिंग के दौरान 04 शातिर अभियुक्तों 1—रहीश खां 2—समीर अन्सारी 3—मोहर 4—नेम सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 कन्टेनर, लगभग 40 लाख रूपये कीमत के लूट के भारी मात्रा में सामान, 02 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.08.2021 को थाना रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों ने माल सहित ट्रक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामगढ़ मु0अ0सं0 507/2021 धारा 328/392 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कन्टेनर व सामान आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—रहीश निवासी नगला बरी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

2—समीर अन्सारी निवासी मो0बगिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

3—मोहर निवासी गंगारिसोर्ट के पास सत्यनगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

4—नेम सिंह निवासी मो0कबीरनगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

**<u>बरामदगी</u>**

1—लूट का 01 कन्टेनर।

2—लगभग 40 लाख रूपये कीमत के लूट के भारी मात्रा में सामान।

3—02 पिकअप वाहन आदि।

## <u>जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.08.2021 को थाना शिवरतनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शेखनगांव मोड़ गंदा नाला के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जिसमें उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इंशाद उर्फ इशात घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना संडीला जनपद हरदोई में पंजीकृत मु0अ0सं0 587/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवरतनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–इंसाद उर्फ इशात निवासी दिलावलगढ़ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

## जनपद बरेली/थाना भुता

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 06 हजार 300 रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 31.08.2021 को थाना भुता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकरापुर बाग के पास से 04 अभियुक्तों 1–गुरूपाल उर्फ पालू 2–भूरेलाल 3–अनिल उर्फ विजयतुंग 4–भानू प्रताप को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 06 हजार 300 रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गुरूपाल उर्फ पालू के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त भूरेलाल के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भुता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–गुरूपाल उर्फ पालू निवासी कंजा चकरपुर थाना भुता जनपद बरेली।

2–भूरेलाल निवासी चकरापुर थाना भुता जनपद बरेली।

3–अनिल उर्फ विजयतुंग निवासी पऊनगला थाना भुता जनपद बरेली।

4–भानु प्रताप निवासी पऊनगला थाना भुता जनपद बरेली।

**बरामदगी**

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 06 हजार 300 रूपये नगद।

3–04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि।

## कमिश्नरेट वाराणसी/थाना भेलूपुर

## पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- **लूट के 05 हजार 50 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.08.2021 की रात्रि थाना भेलूपुर थाना सिगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जल–कल के पास कमच्छा से चेकिंग के

दौरान पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 05 हजार 50 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधडी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–विनोद निवासी आदर्शनगर कालोनी मण्डुवाडीह वरूणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी।

**<u>बरामदगी</u>**

1–लूट के 05 हजार 50 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि।

## <u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **12 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 30.08.2021 की रात्रि थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नागल के पास चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–दुर्गपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से 07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 12 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सौरभ निवासी नागल थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

2–दुर्गपाल निवासी नागल थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1–07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–12 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

## जनपद मथुरा/थाना छाता

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 31.08.2021 को थाना छाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दौरी कट दौताना के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उमर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—उमर निवासी उटावर थाना उटावर जनपद पलवल हरियाणा।

**बरामदगी**

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

**जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदर बाजार**

- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख रूपये कीमत की 115 पेटी अवैध अग्रेजी शराब**
- **119 फर्जी बारकोड,**
- **07 मोबाइल फोन**
- **01 टैंकर टाटा 407**
- **01 आई—20 कार आदि बरामद**

दिनांक 30/31.08.2021 की रात्रि थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुभाषनगर रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान 06 शातिर अभियुक्तों 1—नासिर 2—विनोद 3—भगवान 4—महेन्द्र 5—जसवीर 6—भरत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख रूपये कीमत की 115 पेटी अवैध अग्रेजी शराब, 119 फर्जी बारकोड, 07 मोबाइल फोन, 01 टैंकर टाटा 407, 01 आई—20 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—नासिर निवासी अजीजाबाद थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा।

2—विनोद निवासी रोहना थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

3—भगवान निवासी हाथिया थाना बरसाना जनपद मथुरा।

4—महेन्द्र निवासी दुजाना थाना झज्जर जनपद झज्जर हरियाणा।

5—जसवीर निवासी रोहना थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

6—भरत निवासी हाथिया थाना बरसाना जनपद मथुरा।

**बरामदगी**

1—लगभग 11 लाख रूपये कीमत की 115 पेटी अवैध अग्रेजी शराब।

2—119 फर्जी बारकोड।

3—07 मोबाइल फोन।

4—01 टैंकर टाटा 407।

5—01 आई—20 कार आदि।

- **जनपद सीतापुर/थाना रामपुरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या—12, जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामपुरकला पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304 भादवि में अभियुक्त मुकेश भार्गव को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————